न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,
पीठासीन अधिकारी :—सुभाषचन्द्र आर.ए.एस.

सं. 10/2024
सीएमएस : 2024/34

1. रवीना पुत्री श्री रामकुमार पत्नी श्री राधेश्याम जाति बिश्नोई साकिन 4 एम.के. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ हाल डेलवां तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर राज.।

—:प्रार्थीया

बनाम

1. राम कुमार पुत्र श्री भजन लाल जाति बिश्नोई साकिन 4 एम.के. तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील रायसिंहनगर श्रीगंगानगर।

—:अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानकाश्तकारीअधिनियम

तारीख रजू 13.02.2024

उपस्थितअधिवक्तागण
1. श्री रविन्द्र कुमार बिश्नोई प्रार्थी अधिवक्ता।
2. श्री रणजीतसिंह सोनी अप्रार्थी सं. 1 अधिवक्ता।

—: **निर्णय** :—

दिनांक :—08.07.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी सं. 1 रामकुमार को वाके चक 4 एम.के. तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 119/21 में पं.नं. 130/288 मु.नं. 10 के कि.नं. 16/1 की 0.2490 है., 17/1 की 0.1230 है. 0.3720 है. बारानी, पं.नं. 130/289 मु.नं. 19 के कि.नं. 1/0.240 है., 2/2 में 0.100है. 0.2500 है. बारानी व पं.नं. 133/292 मु.नं. 37 के कि.नं. 16 की 0.2530 है., 21 की 0.253 है., 22/1 की 0.037है., 0.5430 है. नहरी कुल खाता योग 1.1650 है. नहरी—बारानी खातेदारी कृषि भूमि, जिसे आगे विवादित भूमि संबोधित किया जा रहा है अपनी माता यानि प्रार्थीया व तरतीबी प्रतिवादीगण की दादी से प्राप्त हुई, जो पैतृक सम्पति (जद्दी जायदाद) होने से प्रार्थीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 का अप्रार्थी सं. 1 की वैध संतान होने उसमें उनका हक व अधिकार जन्म से ही अप्रार्थी सं. 1 के साथ बहिस्सा बराबर—बराबर अर्थात प्रत्येक एक का 1/5—1/5 भाग पर हक व अधिकार निहित होने से प्रार्थीया अपने 1/5 भाग अर्थात 0.233 है. नहरी—बारानी कृषि भूमि पर अपने खातेदारी अधिकारों व हक—हकूक को घोषित करवा पाने की विधिक अधिकारिणी होने से वाद लाने की कानूनन अधिकारिणी है। अप्रार्थी सं. 1 वृद्व आयु व नशे की लत के चलते मानसिक व शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो चुके है ओर उन्हे अपने भले—बुरे का ज्ञान नहीं रहा ना ही अपने व्यक्तिगत व सम्पदा व अन्य महत्वपूर्ण व हम पारिवारिक व व्यवहारिक निर्णय लेने की क्षमता को खो चुके है। अप्राथी सं. 1 प्रार्थीया को जबरन बेदखल कर उन्हे पैतृक सम्पति (जद्दी जायदाद) से वंचित करने की कुचेष्टा में है। प्रार्थीया अप्रार्थी सं. 1 से अनुरोध किया कि विवादित पैतृक रकबा [illegible] व तरतीबी प्रतिवादीगण के खातेदारी हक—हकूक व अधिकारों [illegible] स्वी[illegible]ते हुये अभिलेखों में भूमि उनके नाम से अमलदरामद करवाने की अपेक्षित [illegible] में सहयोग देते हुये विवादित रकबा को खुर्द—बु[illegible] रहे तो वह प्रथमतः टालमटोल पश्चात अंततः दिनांक 11.02.2024 [illegible] 4 एम.के. तहसील रायसिंहनगर में उनकी किसी बात को मानने से स्पष्ट रूप से इन्कार होकर धमकी दी कि विवादित रकबा अप्रार्थी सं. 1 के अकेले के नाम से दर्ज होने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:26:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

बेजा नाजायज फायदा उठा प्रार्थीया आदि को विवादित रकबा में उनके पैतृक हिस्सा से वंचित करते हुये किसी अन्य को रहन, बैय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित कर कब्जा सुपुर्द करेगा, इसलिए प्रार्थी को अपने विधिक अधिकारों की संसुरक्षा व वांछित अनुतोष व व्यादेश प्राप्ति के लिये माननीय न्यायालय के समक्ष वाद लाना पड़ा। वाद के निरतारण में समय लगने की संभावना है अगर दौराने वाद अप्रार्थी सं. 1 अपने उक्त अवैधानिक व गैरकानूनी कृत्य में कामयाब हो गया तो उससें प्रार्थीया के बाद का मकसद ही फोत हो जावेगा और प्रार्थीया के विधिक अधिकारों का हनन होगा, गैरइंसाफी होगी, अन्याय होगा, अपूर्णिनीय क्षति होगी, मुकदमाबाजी बढ़ेगी, अपव्यय होगा जिससें होने वाले नुकसान को मुद्राओं में नहीं आंका जा सकेगा। इसलियं प्रार्थीया अस्थाई व्यादेश पाने का विधिक अधिकारी है। अन्य आधार वरवक्त बहस अर्ज किये जायेगें। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट बाबत अस्थाई व्यादेश मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर ता:फैसला मूल वाद प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्व इस आशय का अस्थाई व्यादेश पारित फरमाया जावे कि वह विवादित रकबा वाके चक 4 एम.के. तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 119/21 में पं.नं. 130/288 मु.नं. 10 के कि.नं. 16/1 की 0.2490 है., 17/1 की 0.1230 है. 0.3720 है. बारानी, पं.नं. 130/289 मु.नं. 19 के कि.नं. 1/0.2400 है., 2/2 में 0.0100है. 0.2500 है. बारानी व पं.नं. 133/292 मु.नं. 37 के कि.नं. 16 की 0.2530 है., 21 की 0.2530 है., 22/1 की 0.0370है., 0.5430 है. नहरी कुल खाता योग 1.1650 है. नहरी–बारानी खातेदारी कृषि भूमि, कृषि भूमि को स्वयं या अन्य के माध्यम से किसी भी प्रकार से किसी अन्य को रहन, बैय या अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने से तथा प्रार्थीगण को जबरन–बलपूर्वक–विधिविरूध तरीके से बेदखल करने से बाज ममनू रहे तथा मौका एवं रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

2. प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री रणजीतसिंह सोनी अधिवक्ता ने हाजिर होकर जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि चक 4 एम के तहसील रायसिंहनगर का मुरब्बा नं. 19 में 1.745 है. बारानी व मुरब्बा नं. 37 में 3.162 है. नहरी इस प्रकार कुल 4.907 है. नहरी बारानी भूमि भजनलाल पुत्र मिसरू राम व हेतराम पुत्र मिसरू राम के नाम से 1/2 हिस्सा की सम्पति भजनलाल के वारिसान रामकुमार, रामचन्द्र, कृष्णलाल, सुरेन्द्रकुमार, राजेश कुमार विमलादेवी ने अपने 7/8 हिस्सा का हक त्याग करते हुए जरिये दस्तबरदारी दिनांक 19.05.2004 को बहक गोमती देवी पत्नी भजनलाल के नाम उप पंजीयक के समक्ष उपस्थित होकर करवाई ओर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। इस प्रकार उपरोक्त मृतक भजनलाल के वारिसान द्वारा अपनी भूमि चक 4 एमके तहसील रायसिंहनगर का मुरब्बा नं. 19 में 1.745 है. बारानी व मुरब्बा नं. 37 में 3.162 है. नहरी इस प्रकार कुल 4.907 है. नहरी बारानी भूमि में 1/2 हिस्सा रिकार्ड में दर्ज थी जिसमें मुरब्बा नं. 10 विरास्तन इन्तकाल में कही दर्ज नहीं है इस प्रकार उक्त मुरब्बा नं. 10 की भूमि की भूमि अप्रार्थी रामकुमार की स्वयं अर्जित सम्पति है। प्रार्थीया ने गलत तथ्यों के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया ... जो हक व हिस्सा मांगा गया वह कानूनी प्रकिया के विपरीत है। जबकि प्रार्थीया ... पिता रामकुमार द्वारा अपना हक व हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड ... के आधार पर हक त्याग कर दिया है और गोमती देवी ... द्वारा उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज दान पत्र दिनांक 07.02.2020 को अप्रार्थी रामकुमार के

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:26:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

नाम भूमि दर्ज हुई। प्रार्थीया स्वयं अपनी मनमानी करती है और मेरे कहने सुनने में नहीं है और अपनी मर्जी से लव मैरिज की है जिस पर मुझ अप्रार्थी ने प्रार्थीया को अपने से व अपनी चल व अचल सम्पति से बेदखल कर दिया हैं बेदखली सूचना अखबार में प्रकाशित की गई। वादिया एक शातिर व चालाक है प्रार्थीया ने परिवार को बदनाम करने के लिए अपनी मर्जी से शादी की और अब वाद में मनगढत तथ्य दर्ज कर उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल निरस्ती हैं। प्रार्थीया वाद लाने का हकदार नहीं है। मनगढत तथ्य दर्ज कर वाद प्रस्तुत किया गया जो काबिल निरस्ती है। प्रार्थीया ने अपनी प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं. 1 की मानसिक स्थिति सहीं नहीं है कि बाबत कोई ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो अप्रार्थी सं. 1 की मानसिक स्थिति सहीं नही है। मिथ्या तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो काबिले निरस्ती है प्रार्थीया द्वारा जो उक्त भूमि में हक व हिस्सा 0.233है. होना बताया है प्रार्थीया ने आवेदन पत्र बिना आधारों के प्रस्तुत किया गया। जो काबिले निरस्ती है, प्रार्थीया अनुतोष पाने की हकदार नहीं है, ना ही कोई घोषणा करवाने की हकदार है प्रार्थीया द्वारा जो वाद में तथ्य दर्ज किये गये है वह मनगढ़त व आधारहीन तथ्य दर्ज किये है। प्रार्थीया अप्रार्थी की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अस्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी नही है ओर ना ही कोई अनुतोष पाने का अधिकारी है। प्रार्थीया के द्वारा वाद अप्रार्थीगण को नाहक हैरान व परेशान के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हैं सम्भावनाओं के आधार पर प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किये जाने योग्य है। दान पत्र के आधार पर जो हिस्सा अप्रार्थी सें. 1 को आया है उसमें प्रार्थीया का कोई हक व अधिकार नहीं है। क्यों कि हक त्याग किये हक व हिस्सा को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीया का किसी प्रकार से किसी भी कानून के अनुसार 0.233 है. हक व हिस्सा नहीं बनता है। इस कारण प्रार्थीया का आवेदन काबिले निरस्ती है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति तीनों बिन्दू अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में निहित है। प्रार्थीया को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं है। प्रार्थीया स्थगन की आड़ में अप्रार्थीगण को नुकसान पहुँचाने पर उतारू है। अतः जबाव प्रा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रा.पत्र मय अनुतोष खारिज फरमाया जावे। ओर हर्जा खर्जा प्रार्थीया से अप्रार्थीगण को दिलवाया जावे।

3. विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व दिनांक 13.02.2024 को जारी अस्थाई निषेज्ञाधा को पैतृक सम्पति (जददी जायदाद) के आधार पर मूल वाद के निर्णय तक स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। कथन किया कि विवादित भूमि पैतृक की श्रेणी में नहीं आती है क्योकि उक्त विवादित कृषि भूमि दान पत्र रजि. दिनांक 07.02.2020 गोमतीदेवी पत्नी श्री भजनलाल के द्वारा प्राप्त है। जो पूर्णत स्व अर्जित हैं प्रार्थीया द्वारा हमे परेशान करने के लिए अस्थाई निषधाज्ञा जारी करवाई गई है उक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थीया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का कोई विशेष कारण दिखाई नहीं देता है [illegible] अस्थाई जिससें प्रार्थीयां को कोई नुकसान होता [illegible] को न होकर निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे अपूर्णीय क्षति [illegible] रिकॉर्ड अप्रार्थीगण को होगी। उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी [illegible] देता है [illegible] इससे नुकसान में होने के कारण अगर भूमि का [illegible] अर्जित अप्रार्थीगण को न होकर प्रार्थीया [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:26:46 IST
Reason: SelfAttested

सम्पति/जद्दी जायदाद पैतृक सम्पति के तथ्यों के आधार पर निरतारण होना है जो कि मूल वाद में दोनों पक्षों के साक्ष्य लिये जाकर मेरिट के आधार पर तय किया जाना है। फिलहाल तो स्थगन प्रार्थना–पत्र का ही निरतारण किया जाना है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में होना प्रतीत होता हैं तथा अपूणीनीय क्षति, सुविधा का संतुलन को सिद्व करने में अप्रार्थीगण असफल रहा है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायाचित है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र में दिनांक 13.02.2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई किया जाता है पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर होकर मूल वाद के साथ सलंग्न की जावे।

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 08.07.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान) रायसिंहनगर

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.23 16:26:46 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner